"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2012—कार्तिक 25, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग (रजिस्ट्रार शाखा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा केवल सामान्य प्रशासन विभाग (रजिस्ट्रार शाखा) के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (1982), सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, उच्च शिक्षा एवं आयुक्त, उच्च शि... सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छ.ग. का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. डॉ. बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री के. सुब्रमणयम्, भा.व.से. (1984), सचिव, मुख्यमंत्री तथा नियत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री कौशलेन्द्र सिंह, भा.व.से. (1985), प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन छ.ग. रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से. (1988), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण तथा विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा संचालक, नगर एवं ग्राम्य निवेश, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

7. श्री बी. आनन्द बाबू, भा.व.से. (1992), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सेवाएं उनके पैतृक विभाग, वन विभाग को वापस की जाती है.

8. श्री मनोहर पांडे, भा.प्र.से. (1993), सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं सचिव, सहकारिता विभाग तथा गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि पदस्थ किया जाता है तथा सचिव, सहकारिता विभाग तथा गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

9. श्री एन. के. खाखा, भा.प्र.से. (2000), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं छ.ग. माटीकला बोर्ड, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छ.ग. रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

10. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002), संचालक, नगरीय प्रशासन, छ.ग. रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

11. श्री एस. जगदीशन, भा.व.से. (2005), का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2, दिनांक 18-09-2012 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

12. श्री ए. के. टोप्पो, भा.प्र.से., सचिव, छ.ग. लोक आयोग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पंजीयक सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री एस. के. जायसवाल, भा.प्र.से. (2000), पंजीयक सहकारी संस्थायें तथा प्रबंध संचालक, विपणन संघ मर्यादित, रायपुर केवल पंजीयक सहकारी संस्थायें, छ.ग. रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

13. श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, छ.ग. रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

14. श्री उमेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग तथा संचालक, नगर तथा ग्राम्य निवेश, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास तथा सचिव, समाज कल्याण केवल आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

15. श्री धनन्जय देवांगन, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

16. श्री छत्तरसिंह डेहरे, भा.प्र.से. अपर कलेक्टर, बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

17. श्री आर. के. टण्डन, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ करते हुए इसकी सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है तथा अपर कलेक्टर, धमतरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

18. श्री टोपेश्वर वर्मा, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए इसकी सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

19. श्री चन्द्रकांत उईके, रा.प्र.से., उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छ.ग. लोक आयोग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

20. श्री विपिन मांझी, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, जांजगीर चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ करते हुए इसकी सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

21. श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, रा.प्र.से., संयुक्त कलेक्टर, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त कलेक्टर, राजनांदगांव पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), खनिज साधन विभाग को इनकी संविदा नियुक्ति में निर्धारित संविदा की शर्तों के अंतर्गत रखते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), आवास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-1-02/2012/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), सचिव, खनिज साधन विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म एवं सचिव, मुख्यमंत्री को केवल आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-01-07/2004/एक/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), संचालक, उद्यानिकी, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक-एफ 3-46/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाने/चौकी का नाम, जिसमें अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	थाना-तारबाहर, तहसील-बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	सिरगिट्टी	37
		—,,—	झोपड़ापारा	37 (वार्ड नं. 55)
		—,,—	लोको खोली	34 (वार्ड नं. 55)
		—,,—	गैंग खोली	37 (वार्ड नं. 55)
		—,,—	गजरा चौक	37 (वार्ड नं. 55)
		—,,—	उड़िया मोहल्ला (फोकटपारा सभी वार्ड नं. 55 नगर निगम, बिलासपुर.)	37 (वार्ड नं. 55)
		थाना-तोरबा, तहसील-बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	चुचुहियापारा, नयापारा	34/37
		—,,—	न्यू लोको कॉलोनी, पोटरखोली.	34 (वार्ड नं. 54)
		—,,—	धुमा	39
		—,,—	गणेश नगर	34 (वार्ड नं. 39)
		थाना-चकरभाटा, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर.	हरदीकला	3
		—,,—	बसिया	38
		—,,—	पोढ़ी अरपा	4
		—,,—	बन्नाडीह	38
		—,,—	नयापुरा	2
		—,,—	सिलपहरी	4
		—,,—	कोरमी	38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-सिविल लाईन, तहसील-बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	सम्पूर्ण तिफरा क्षेत्र (नगर पंचायत क्षेत्र)	36
2.	थाना-बलौदा जिला-जांजगीर-चांपा	चौकी-पंतोरा, जिला-जांजगीर-चांपा	बोकरेल	35

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 1-09/दो-गृह/IPS/2012.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक-I-21021/2/2012-IPS.IV दिनांक 14 अगस्त 2012 के द्वारा श्रीमती सोनल वी. मिश्रा, भा.पु.से. (तमिलनाडू 2000) की सेवाएं अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ में 05 वर्ष के लिए सौपा गया है.

2. पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के आदेश क्र. पुमु/1/स्था/2/एम-4583/12, दिनांक 04-10-2012 द्वारा श्रीमती सोनल वी. मिश्रा, भा.पु.से. की पदस्थापना पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त की गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04-10-2012 की पुष्टि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 01-54/31/स्था./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री बी. एल. राय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर, दिनांक 31-10-2012 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप श्री हेमराज कुटारे, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-20/2012/16.—चूंकि राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है कि धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में "किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन" के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-11/2012/16 दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिये "छत्तीसगढ़ राजपत्र" दिनांक 3 अगस्त 2012 में प्रकाशित किया गया था और चूंकि इस प्रस्ताव के संबंध में कोई सुझाव, अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ.

अतएव उक्त "अधिनियम" जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सलाहकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में दर्शाये गये कर्मचारियों के वर्गों के लिये स्तम्भ (3) एवं (4) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार क्रमशः नवीन न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें पुनर्निर्धारित करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित नवीन न्यूनतम वेतन की दरें श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2012/11623 दिनांक 26-09-2012 के अनुसार जुलाई 2011 से जून 2012 तक की अवधि में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिये निर्मित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 373 अंकों की वृद्धि के आधार पर दिनांक 01-10-2012 से प्रवृत्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों के साथ इस अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी.

अनुसूची

तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**बीड़ी रोलर** (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु. 58.90	रु. 3.73	रु. 62.63 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 350.07 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 350.07 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.
2.	**रेलाई श्रमिक**			
	अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
	1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य.	रु. 33.67 प्रति 1000 कट्टों पर.	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.	रु. 35.54 पैसे
	2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है.	रु. 36.31 प्रति 1000 कट्टों पर.	एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.	रु. 38.18 पैसे
	ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
	1. झिल्ली लेबल लगाना	रु. 29.40 प्रति 1000 कट्टों पर.	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार.	रु. 31.27 पैसे
	2. झिल्ली लगाना	रु. 21.34 प्रति 1000 कट्टों पर.	1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार.	रु. 22.74 पैसे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. लेबल लगाना	रु. 8.26 प्रति 1000 कट्टों पर.	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.	रु. 8.73 पैसे
	4. पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 8.54 प्रति 1000 कट्टों पर.	1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार.	रु. 9.01 पैसे
	स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
	1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 123.13 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.	रु. 130.59 पैसे
	2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.	रु. 144.88 पैसे
	3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो.	रु. 137.42 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर.	रु. 144.88 पैसे

नोट :— बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे.

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा.

1. **कुशल** : ड्राईवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, स्टोर कीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर.

2. **अर्धकुशल** : बीड़ी छाँटने तथा जांच करने वाला, भठ्ठी वाला, रसोईया, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क.

3. **अकुशल** : ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार.

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित निम्नानुसार है.

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	कुल वेतन प्रतिदिन
1.	कुशल	4556.75	373.00	4929.75	189.61
2.	अर्धकुशल	4368.70	373.00	4741.70	182.37
3.	अकुशल	4182.55	373.00	4555.55	175.21

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं.

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4191 (1960=100) पर आधारित है. 4191 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 4 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-21/2012/16.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्रमांक 39 सन् 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित पदाधिकारियों को उक्त वर्णित अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	पदाधिकारी (2)	क्षेत्र (3)
1.	समस्त सहायक श्रमायुक्त	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	समस्त श्रम पदाधिकारी	—तदैव—
3.	समस्त सहायक श्रम पदाधिकारी	—तदैव—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मा[illegible]

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्रमांक/4527/एफ-8-65/एन.ए.आई.एस./2012/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13011/15/99/ Credit-II दिनांक 16 जुलाई, 1999 तथा प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/04/2004/Credit-II दिनांक 06 फरवरी, 2012 का संदर्भ लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन सूचित करता है कि रबी 2012-13 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सम्पूर्ण प्रदेश में चयनित फसलों पर कार्यान्वित की जावेगी.

2. **निम्न फसलों को अधिसूचित किया गया है :—**
1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना 4. राई-सरसों 5. अलसी 6. आलू

3. **अधिसूचित क्षेत्र :**—सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्र राजस्व निरीक्षक मंडल होगा. सभी फसलों के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के जिलों के नाम एवं तहसील में राजस्व निरीक्षक मंडल परिशिष्ट-1 में दर्शित है.

4. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार और काश्तकार कृषक भी भाग ले सकते हैं.

5. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से और अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से इस योजना में भाग ले सकते हैं.

6. 1 अक्टूबर, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक अधिसूचित फसलों के लिए ली गई ऋण राशि रबी 2012-13 मौसम के लिए कवर किया जायेगा.

7. अऋणी किसान और लिये गये ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिये बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2012 होगी.

8. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक से अधिसूचित फसलों की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जायेगा.

9. संबंधित बैंकों का नोडल शाखा नीचे दिये गये समय सारणी के अनुसार घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे.

समय सारणी

माह के वितरित ऋण	घोषणा-पत्र स्वीकार किये जाने की सीमा
अक्टूबर, 2012	30 नवम्बर, 2012
नवम्बर, 2012	31 दिसम्बर, 2012
दिसम्बर, 2012	31 जनवरी, 2013
जनवरी, 2013	28 फरवरी, 2013
फरवरी, 2013	31 मार्च, 2013
मार्च, 2013	31 मई, 2013 (मौसम की अंतिम तिथि)

10. शासन द्वारा उपज के आंकड़े भेजने की अंतिम तिथि 31-07-2013 होगी.

11. ऋणी किसान के लिए बीमित राशि लिये गये ऋण राशि तक व इसके अतिरिक्त निर्धारित उपज के मूल्य तक और इससे अधिक 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक होंगे. लिये गये ऋण राशि और निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा और उससे अधिक राशि के लिए वास्तविक दर लागू होगा. अऋणी किसान के लिए बीमित राशि निर्धारित उपज के मूल्य तक सामान्य दर लागू होगा एवं उससे ज्यादा 150 प्रतिशत औसत उपज के मूल्य तक वास्तविक दर लागू होगा.

12. **प्रीमियम में अनुदान :—** ऋणी एवं अऋणी लघु एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है और लघु एवं सीमांत किसानों के लिये समस्त बैंक के नोडल कार्यालय को प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि प्रेषित करनी होगी.

देय प्रीमियम के लिए मांग विकर्ष सहित घोषणा-पत्र एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमि., रायपुर को भेजना होगा.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :—** सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा करने के लिये कुल प्रीमियम राशि का 2.5 प्रतिशत बैंक सर्विस चार्जेस मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जायेगा.

14. **दावा गणना :—** दावा की गणना आयुक्त भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज दर के आंकड़ों से किया जायेगा. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़, अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं है.

15. रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबन्द, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर एवं बलराम जिलों (13 जिलों) में रबी वर्ष 2012-13 के लिए पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू की गई है उन जिलों में गेहूं व चना को छोड़कर अन्य फसलें एवं शेष जिलों के लिए राजस्व निरीक्षक मंडलवार गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी, राई-सरसों एवं आलू फसलों को अधिसूचित किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत रबी 2012-13 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली राजस्व निरीक्षक मंडलों की सूची

क्र. (1)	फसल का नाम (2)	जिला (3)	तहसीलें (4)	राजस्व निरीक्षक मंडल (5)
1.	गेहूं सिंचित (18)	महासमुंद	महासमुंद	1 महासमुंद
		धमतरी	नगरी	2 नगरी-सिहावा
			कुरूद	3 कुरूद
		बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	4 भानपुरी
		जांजगीर-चांपा	सक्ती	5 सक्ती
			मालखरौदा	6 मालखरौदा
			अकलतरा	7 अकलतरा
			बलौदा	8 बलौदा
		कोरिया	बैकुण्ठपुर	9 बैकुण्ठपुर
				10 पटना
			मनेन्द्रगढ़	11 मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	12 भरतपुर
				13 कांटाडोल
		रायगढ़	खरसिया	14 खरसिया
			रायगढ़	15 किरोड़ीमल नगर
			पुसौर	16 पुसौर
			बरमकेला	17 सरिया
		जशपुर	बगीचा	18 सन्ना
2.	गेहूं असिंचित (3)	धमतरी	धमतरी	19 भोथली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		कोरिया	सोनहत	20 सोनहत
			खड़गवां	21 खड़गवां
3.	चना (6)	धमतरी	धमतरी	22 धमतरी
				23 भोथली
			नगरी	24 नगरी-सिहावा
			कुरूद	25 कुरूद
		कांकेर	कांकेर	26 कांकेर
		जशपुर	पत्थलगांव	27 पत्थलगांव
4.	अलसी (51)	गरियाबंद	मैनपुर	28 मैनपुर
			देवभोग	29 देवभोग
		धमतरी	नगरी	30 नगरी-सिहावा
			कुरूद	31 कुरूद
		दुर्ग	पाटन	32 पाटन
				33 भिलाई
		बालोद	बालोद	34 बालोद
			डौण्डी	35 दल्लीराज़हरा
			डौण्डीलोहारा	36 डौण्डीलोहारा
				37 खेरथा
			गुरूर	38 गुरूर
			गुण्डरदेही	39 गुण्डरदेही
		बेमेतरा	बेमेतरा	40 खण्डसरा
			नवागढ़	41 नवागढ़
		राजनांदगांव	छुरिया	42 छुरिया
			खैरागढ़	43 पाड़ादाह
		कबीरधाम (कवर्धा)	पंडरिया	44 दुल्लापुर
		कोंडागांव	बड़ेराजपुर	45 बड़ेराजपुर
		कांकेर	कांकेर	46 कांकेर
		बिलासपुर	तखतपुर	47 तखतपुर
			पेण्ड्रारोड	48 गौरेला
			कोटा	49 कोटा
		मुंगेली	पथरिया	50 पथरिया
		जांजगीर-चांपा	चांपा	51 चांपा
				52 बम्हनीडीह
			सक्ती	53 सक्ती
			बलौदा	54 बलौदा
		कोरबा	करतला	55 बरपाली
			पाली	56 हरदी बाजार
		सरगुजा	अंबिकापुर	57 अंबिकापुर-1
				58 अंबिकापुर-2
				59 दरिमा
			लखनपुर	60 लखनपुर
			उदयपुर	61 उदयपुर
			लुण्ड्रा	62 धौरपुर
			बतौली	63 बतौली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	अलसी	[illegible]	भैयाथान	64 भैयाथान
			रामानुजनगर	65 रामानुजनगर
			प्रतापपुर	66 प्रतापपुर
				67 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामानुजगंज/रामचन्द्रपुर	68 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	69 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	70 वाड्रफनगर
				71 रघुनाथ नगर
			शंकरगढ़	72 शंकरगढ़
			राजपुर	73 राजपुर
		कोरिया	बैकुण्ठपुर	74 पटना
		रायगढ़	लैलूंगा	75 लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	76 पत्थलगांव
				77 बागबहार
			बगीचा	78 सन्ना
5.	राई-सरसों (71)	गरियाबंद	मैनपुर	79 मैनपुर
		धमतरी	धमतरी	80 भोथली
			नगरी	81 नगरी-सिहावा
			कुरूद	82 कुरूद
		दुर्ग	दुर्ग	83 [illegible]
			पाटन	84 टन
				85 लाई
		बालोद	बालोद	86 लोद
			गुरूर	87 रूर
		कवर्धा	बोड़ला	88 रगांव जंगल
				89 ल्फी
				90 गाखारकला
			पंडरिया	91 नेउर
				92 कुकदुर
		जगदलपुर	जगदलपुर	93 नानगुर
			लोहाण्डीगुड़ा	94 चित्रकुट
			बस्तानार	95 बस्तानार
			दरभा	96 दरभा
		कोंडागांव	कोंडागांव	97 मर्दापाल
		कांकेर	दुर्गकोंदल	98 दुर्गकोंदल
			अंतागढ़	99 अंतागढ़
			/	100 आमाबेड़ा
		दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	101 पोड़म
			कुंआकोण्डा	102 कुआंकोण्डा
			कटेकल्याण	103 कटेकल्याण
		बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	104 गौरेला
			पेण्ड्रा	105 पेण्ड्रा
			कोटा	106 कोटा
		जांजगीर-चांपा	जांजगीर	107 जांजगीर
			नवागढ़	108 नवागढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	राई-सरसों	कोरबा	पाली	109 पाली
			पोड़ीउपरोड़ा	110 पोड़ीउपरोड़ा
				111 पसान
		अंबिकापुर	अंबिकापुर	112 अंबिकापुर-2
				113 दरिमा
			लखनपुर	114 लखनपुर
			उदयपुर	115 उदयपुर
			सीतापुर	116 सीतापुर
			मैनपाट	117 मैनपाट
			लुण्ड्रा	118 लुण्ड्रा
				119 धौरपुर
			बतौली	120 बतौली
		सूरजपुर	सूरजपुर	121 सुरजपुर
			भैयाथान	122 भटगांव
			ओड़गी	123 ओड़गी
			रामानुजनगर	124 रामानुजनगर
			प्रेमनगर	125 प्रेमनगर
			प्रतापपुर	126 प्रतापपुर
				127 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	128 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	129 बलरामपुर
			वाड्रफनगर	130 वाड्रफनगर
				131 रघुनाथ नगर
			कुसमी	132 कुसमी
				133 सामरी
			शंकरगढ़	134 शंकरगढ़
			राजपुर	135 राजपुर
		कोरिया	सोनहत	136 सोनहत
			बैकुण्ठपुर	137 बैकुण्ठपुर
				138 पटना
			मनेन्द्रगढ़	139 मनेन्द्रगढ़
			भरतपुर	140 भरतपुर
				141 कांटाडोल
			खड़गवां	142 खड़गवां
		रायगढ़	धरमजयगढ़	143 कापू
			पुसौर	144 पुसौर
			लैलूंगा	145 लैलूंगा
		जशपुर	पत्थलगांव	146 पत्थलगांव
			बगीचा	147 बगीचा
				148 सन्ना
			मनोरा	149 मनोरा
6.	आलू (14)	अंबिकापुर	अंबिकापुर	150 दरिमा
			लखनपुर	151 लखनपुर
			उदयपुर	152 उदयपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आलू	सुरजपुर	सुरजपुर	153 सुरजपुर
				154 पिल्खा
			भैयाथान	155 भैयाथान
				156 भटगांव
			ओड़गी	157 ओड़गी
			रामानुजनगर	158 रामानुजनगर
			प्रतापपुर	159 प्रतापपुर
				160 डाडकरवां
		बलरामपुर	रामचन्द्रपुर	161 रामचन्द्रपुर
			बलरामपुर	162 बलरामपुर
			राजपुर	163 राजपुर

गोशवारा

क्र.	फसल	जिला (सं.)	तहसील (सं.)	राजस्व निरीक्षक मंडल (सं.)
1.	गेहूं सिंचित	7	16	18
2.	गेहूं असिंचित	2	3	3
3.	चना	3	5	6
4.	अलसी	19	43	51
5.	राई-सरसों	18	57	71
6.	आलू	3	11	14

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा इंद्रावती टायगर रिजर्व के गठित होने के फलस्वरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-50-98-दस-3, दिनांक 11 सितंबर, 1998 तथा अधिसूचना क्रमांक 15/7/80/10/2, दिनांक 12-05-1981 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित सहायक संचालक

के कार्य क्षेत्र (उप वनमंडल) पुनर्गठित करती है, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी :—

अनु. क्र.	वृत्त का नाम (मुख्यालय)	जिले का नाम	टायगर रिजर्व का नाम	उप संचालक (वनमंडल) का नाम (मुख्यालय)	सहायक संचालक (उप वनमंडल) का नाम मुख्यालय	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	सम्मिलित परिक्षेत्रों के नाम	उप वनमंडल (सहायक संचालक के कार्य क्षेत्र) की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर				
1.	**वन संरक्षक (वन्यप्राणी), जगदलपुर एवं क्षेत्र संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व मुख्यालय-जगदलपुर**	बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व	उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बीजापुर)	सहायक संचालक, कोर क्षेत्र मुख्यालय-बीजापुर	1258.37	कोर परिक्षेत्र फरसेगढ़, कुटरू, पासेवाड़ा, पिल्लूर, सेण्ड्रा	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित कोर क्षेत्र की सीमाएं.
2.	**वन संरक्षक (वन्यप्राणी), जगदलपुर एवं क्षेत्र संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व मुख्यालय-जगदलपुर**	बीजापुर	इंद्रावती टायगर रिजर्व	उप संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व (बीजापुर)	सहायक संचालक, बफर क्षेत्र मुख्यालय-बीजापुर	1540.70	बफर परिक्षेत्र कुटरू, बीजापुर एवं मद्देड़	छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित बफर क्षेत्र की सीमाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 26-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 26th October 2012

No. F 8-43/2007/10-2.—Consequent upon the constitution of the Indravati Tiger Reserve vide Notification No. 8-43/2007/10-2 dated 20 February, 2009 of the Government of Chhattisgarh, the State Government hereby partially amends the Notification No. 25-50-98-ten-3, dated 11 September. 1998 and Notification No. 15/7/80/10/2 dated 12-05-1981 of Government of Madhya Pradesh, Forest Department and reconstitutes the administrative units of the Assistant Director (Sub-division) of the Tiger Reserve, it shall come into force from the date of it's publication in the official gazette :—

S. No.	Name of the the circle (Head Quarter)	Name of the District	Name of the Tiger Reserve	Name of the Deputy Director (Division) (Head Quarter)	Name of the Assistant Director (Sub Division) (Head Quarter)	Area (Sq. Km.)	Name of the included Ranges	Bounderies of the Sub Division (Administrative units of Assistant Director)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Indravati Tiger Reserve, Bijapur				
1.	Conservator of Forest (Wild Life), Jagdalpur and Regional Director, Indravati Tiger Reserve, Head Quarter-Jagdalpur.	Bijapur	Indravati Tiger Reserve	Deputy Director, Indravati Tiger Reserve (Bijapur)	Assistant Director, Core Area (Head Quarter-Bijapur)	1258.37	Core Ranges Farsegarh, Kutru, Pasewada, Pillur, Sendra	The boundaries of core area of Indravati Tiger Reserve notified vide Notification No. F-8-43/2007/10-2 Dated 20th February 2009 of Government of Chhattisgarh Forest Department, published in the Gazette dated 06th March 2009 of Chhattisgarh.
2.	Conservator of Forest (Wild Life), Jagdalpur and Regional Director, Indravati Tiger Reserve, Head Quarter-Jagdalpur.	Bijapur	Indravati Tiger Reserve	Deputy Director, Indravati Tiger Reserve (Bijapur)	Assistant Director, Buffer Area (Head Quarter-Bijapur)	1540.70	Buffer Ranges Kutru, Bijapur and Mdded.	The boundaries of buffer area of Indravati Tiger Reserve notified vide Notification No. F-8-43/2007/10-2 Dated 20th February 2009 of Government of Chhattisgarh Forest Department, published in the Gazette dated 06th March 2009 of Chhattisgarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2009 द्वारा उदंती—सीतानदी टायगर रिजर्व तथा अचानकमार टायगर रिजर्व के गठित होने के फलस्वरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-125/व.सं./2001, दिनांक 20-07-2001 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित सहायक संचालक के कार्य क्षेत्र (उप वनमंडल) पुनर्गठित करती है, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी :—

अनु. क्र.	वृत्त का नाम (मुख्यालय)	जिले का नाम	टायगर रिजर्व का नाम	उप संचालक (वनमंडल) का नाम (मुख्यालय)	सहायक संचालक (उप वनमंडल) का नाम मुख्यालय	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	सम्मिलित परिक्षेत्रों के नाम	उप वनमंडल (सहायक संचालक के कार्य क्षेत्र) की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				उदन्ती--सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद				
1.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर.	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व (गरियाबंद)	सहायक संचालक, सीतानदी मुख्यालय-नगरी	653.56	सीतानदी, रिसगांव एवं अरसीकन्हार	**उत्तर :** कक्ष क्र. 324 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर सोण्ढूर नदी तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के कोर II (सीतानदी अभ्यारण्य) की उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्र. 383 की पश्चिमी उत्तरी सीमा. **पूर्व :** कक्ष क्र. 383 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 241 की पूर्वी तथा उड़ीसा राज्य की सीमा के मिलन बिन्दु तक धमतरी एवं गरियाबंद जिले की उभयनिष्ठ सीमा. **दक्षिण :** उड़ीसा राज्य की सीमा जो ग्राम लिखमा के उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक विस्तारित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								पश्चिम : कक्ष क्र. 264 की दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 322 की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक कोण्डागांव जिले की सीमा, कक्ष क्र. 322, 323 एवं 324 की पश्चिमी सीमा.
2.	**वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर.**	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व (गरियाबंद)	सहायक संचालक, उदन्ती मुख्यालय-मैनपुर	410.70	उत्तर उदन्ती, दक्षिण उदन्ती (कोर) एवं इन्दागांव (बफर)	**उत्तर :** संरक्षित वन कक्ष क्र. 1107, 1106, 1101, 1100, 1099, 959, 960, 964, 965 की दक्षिणी सीमा.
								पूर्व : कक्ष क्र. 965 की दक्षिणी सीमा तथा उड़ीसा राज्य की सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1242 की पूर्वी सीमा तक उड़ीसा राज्य की सीमा, कक्ष क्र. 1242, 1243 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1245 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा तथा कक्ष क्र. 1244 की पूर्वी सीमा.
								दक्षिण : कक्ष क्र. 1244 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1282 की दक्षिणी सीमा तथा उड़ीसा राज्य की सीमा के मिलन बिन्दु तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 53 की पश्चिमी सीमा तक उड़ीसा राज्य की सीमा.
								पश्चिम : कक्ष क्र. 1196, 1195, 1194, 1193 एवं 1179 की पूर्वी सीमा. संरक्षित वन कक्ष क्र. 1178 को पूर्वी सीमा, ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								भूतबेड़ा की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1176 की पूर्वी सीमा, ग्राम मोगराभर्री की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 1132, 1131, 1130, 1129, 1128 की पूर्वी सीमा जो कक्ष क्र. 1107 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक जाती है.
3.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व मुख्यालय-रायपुर.	गरियाबंद	उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व	उप संचालक, उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व (गरियाबंद)	सहायक संचालक, तौरेंगा मुख्यालय-मैनपुर	778.28	कुल्हाडीघाट एवं तौरेंगा (बफर)	**उत्तर :** कक्ष क्र. 389 की दक्षिणी सीमा तथा कक्ष क्र. 1068 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1036 की उत्तरी तथा 930 की उत्तरी सीमा एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 933, 918, 894 की पश्चिमी सीमा, 896 की उत्तरी पश्चिमी सीमा, 897, 899, 877, 876, 841, 842 की पश्चिमी सीमा, 815 की दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी सीमा, 789 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा, 790 की पश्चिमी उत्तरी सीमा, 780, 781 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्र. 782 की उत्तरी सीमा, जो बफर क्षेत्र की सीमा भी है. **पूर्व :** कक्ष क्र. 782 की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से लेकर कक्ष क्र. 965 की दक्षिणी तथा कक्ष क्र. 16 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक उड़ीसा राज्य की सीमा. **दक्षिण :** कक्ष क्र. 16, 15, 11, 9, 7, 6, 1, 89, 88 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 87, 77,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								76, 65, 64, 57, 56 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 55 की दक्षिणी सीमा, साहेबीन ग्राम की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 54, 53 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्रमांक 53 की पश्चिमी सीमा एवं कक्ष क्र. 1203 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 1151 की पश्चिमी एवं कक्ष क्र. 241 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक उड़ीसा राज्य की सीमा.
								पश्चिम : कक्ष क्र. 241 की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 389 की दक्षिणी सीमा एवं कक्ष क्र. 1068 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक धमतरी एवं गरियाबंद जिले की उभयनिष्ठ सीमा.
				अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर				
1.	**वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह क्षेत्रीय संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर.**	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	सहायक संचालक, लोरमी मुख्यालय-लोरमी	410.466	लोरमी भाग-1, लोरमी भाग-2, सुरही	**उत्तर :** कक्ष क्र. 416 की पूर्वी तथा राज्य की उभयनिष्ठ सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 303 की पश्चिमी सीमा तक छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य की उभयनिष्ठ सीमा, कक्ष क्र. 303, 331, 330, 329, 327 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 326 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, 325 एवं 324 को दक्षिणी सीमा जो कक्ष क्रमांक 347, 346 एवं 324 के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है.
								पूर्व : आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 347 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 348, 366, 365 की दक्षिणी सीमा, आरक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								वन कक्ष क्र. 364 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 235, 368, 237 की उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 198, 197, 196, 195, 153, 152, 114 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 113 की पश्चिमी दक्षिण सीमा, कक्ष क्र. 115, 116, 117 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 108 की पश्चिमी सीमा तथा कक्ष क्र. 109 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 101 की दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. 100, 101, 93 के मिलन बिन्दु तक.
								दक्षिण : कक्ष क्र. 100, 101, 93 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर मनियारी जलाशय की उत्तरी सीमा और कक्ष क्र. 503 की दक्षिणी सीमा के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा, कक्ष क्र. 475 की पूर्वी सीमा तक मनियारी जलाशय की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 475 की उत्तरी सीमा.
								पश्चिम : कक्ष क्र. 477, 469, 463, 424, 421, 420, 416 की पूर्वी सीमा म.प्र. छत्तीसगढ़ की उभयनिष्ठ सीमा तक.
2.	वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह क्षेत्रीय संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व मुख्यालय-बिलासपुर.	मुंगेली एवं बिलासपुर	अचानकमार टायगर रिजर्व	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व (बिलासपुर)	सहायक संचालक, अचानकमार मुख्यालय-कोटा	503.551	लमनी, छपरवा, अचानकमार, अचानकमार ईको टूरिज्म	**उत्तर :** कक्ष क्र. 271 एवं 270 के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 259 एवं 260 के मिलन बिन्दु तक मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य की उभयनिष्ठ सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								पूर्व : कक्ष क्र. 260 एवं 265 की पश्चिमी सीमा, कक्ष क्र. 266 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा, कक्ष क्र. पी. 1215 की पश्चिमी सीमा से कक्ष क्र. पी 1213 की पूर्वी सीमा तक मुंगेली एवं बिलासपुर जिले की उभयनिष्ठ सीमा, अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा जो कक्ष क्र. पी 1166 एवं आरक्षित वन कक्ष क्र. 224 के मिलन बिन्दु तक विस्तारित है, कक्ष क्र. 184 की उत्तरी तथा पी 1178 की पश्चिमी सीमा के मिलन बिन्दु तक बिलासपुर एवं मुंगेली जिले की उभयनिष्ठ सीमा, कक्ष क्र. 168 तथा 173 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा.
								दक्षिण : कक्ष क्र. 168 तथा 173 की उत्तरी सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारंभ होकर कक्ष क्र. 143 की उत्तरी 144 की पूर्वी सीमा के मिलन बिन्दु तक अचानकमार टायगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा, कक्ष क्र. 553, 549 एवं 112 के मिलन बिन्दु तक कोर क्षेत्र की सीमा.
								पश्चिम : आरक्षित वन कक्ष क्र. 548, 547, 542, 541, 517, 516, 507 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 506 की पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 238 की पूर्वी सीमा, कक्ष क्र. 369 की दक्षिणी पूर्वी सीमा, 367 की दक्षिणी, पूर्वी एवं उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 369, 371, 372, 346 की उत्तरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								सीमा एवं कक्ष क्र. 345 की पूर्वी उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 344, 343 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 342 की उत्तरी पूर्वी सीमा, आरक्षित वन कक्ष क्र. 341, 339, 338, 336 एवं 332 की उत्तरी सीमा, कक्ष क्र. 271 एवं 270 के मिलन बिन्दु तक छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्य की उभयनिष्ठ सीमा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-43/2007/10-2, दिनांक 26-10-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. टी. नंदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 26th October 2012

No. F 8-43/2007/10-2.—Consequent upon the constitution of the Udanti-Sitanadi and Achanakmar Tiger Reserves vide Government of Chhattisgarh, Forest Department Notification No. 8-43/2007/10-2 dated 20th February, 2009, the State Government hereby partially amends the Notification No. F-1-125/FC/2001 dated 10-07-2001 of the Government of Chhattisgarh, Forest department and reconstitutes the administrative units of the Assistant Director (Sub-division) of the Tiger Reserves as mentioned below, it

shall come into force from the date of it's publication in the official gazette :—

S. No.	Name of the circle (Head Quarter)	Name of the District	Name of the Tiger Reserve	Name of the Deputy Director (Division) (Head Quarter)	Name of the Assistant Director (Sub Division) (Head Quarter)	Area (Sq. Km.)	Name of the Ranges included	Bounderies of the Sub Division (Administrative units of Assistant Director)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Gariaband				
1.	Conservator of Forest (Wild Life) and Regional Director, Udanti-Sitanati Tiger Reserve, Head Quarter-Raipur.	Gariaband	Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Deputy Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve (Gariaband)	Assistant Director, Sitanadi (Head Quarter-Nagri)	653.56	Sitanadi, Risgaon & Arsikanhar	**North :** Starting from the meeting point of northern and western boundary of compartment No. 324 upto Sondhur River, northern boundary of Core II (Sitanadi Sanctuary) and west-northern boundary of compartment No. 383. **East :** Starting from the meeting point of northern and eastern boundary of compartment No. 383 upto the meeting point of the boundary of the State of Orissa and eastern boundary of compartment No. 241, the common boundary of Dhamtari and Gariaband district. **South :** Boundary of the State of Orissa which extends upto the meeting point of northern boundary of the village Likhma. **West :** Starting from the meeting point of southern and western boundary of compartment No. 264 upto the meeting point of southern and western boundary of compartment No. 322, the boundary of the

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								district Kondagaon, western boundary of compartment No. 322, 323 and 324.
2.	Conservator of Forest (Wild Life) and Regional Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Head Quarter-Raipur.	Gariaband	Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Deputy Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve (Gariaband)	Assistant Director, Udanti (Head Quarter-Mainpur)	410.70	Udanti North Udanti South (Core) & Indagaon (Buffer)	**North :** Southern boundary of the PF compartments 1107, 1106, 1101, 1100, 1099, 959, 960, 964 and 965. **East :** The boundary of the state of Orissa from the meeting point of the boundary of the State of Orissa and southern boundary of compartment No. 965 upto the eastern boundary of compartment No. 1242 eastern boundary of compartment No. 1242, 1243 eastern and southern boundary of Compartment No. 1245 and eastern boundary of compartment No. 1244. **South :** The southern boundary of buffer area of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve from the meeting point of eastern and southern boundary of compartment No. 1244 upto the meeting point of the southern boundary of compartment No. 1282 and Orissa state, the boundary of Orissa state, the boundary of Orissa state upto the western boundary of compartment No. 53. **West :** Eastern boundary of compartment No. 1196, 1195, 1194, 1193 and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								1179, eastern boundary of compartment No. PF 1178, eastern boundary of Village Bhutbeda, eastern boundary of compartment No. 1176, eastern boundary of the Village Mongrabharri, eastern boundary of compartment No. 1132, 1131, 1130, 1129, 1128 which extends upto meeting point of the southern boundary of comparment No. 1107.
3.	**Conservator of Forest (Wild Life) and Regional Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve, Head Quarter-Raipur.**	**Gariaband**	**Udanti-Sitanadi Tiger Reserve**	**Deputy Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve (Gariaband)**	**Assistant Director, Taurenga (Head Quarter-Mainpur)**	**778.28**	**Kulhadighat and Taurenga (Buffer)**	**North :** The northern boundary of buffer area of Udanti-Sitanadi Tiger Reserve starting from the meeting point of the southern boundary of compartment No. 389 and the eastern boundary of the compartment No. 1068 upto the meeting point of northern boundary of compartment No. 1036 and the northern and eastern boundary of compartment No. 930, western boundary of compartment No. 933, 918, 894, north western boundary of 896, western boundaries of compartment No. 897, 899, 877, 876, 841, 842 south-western and northern boundary of compartment No. 815, south-western boundary of compartment No. 789, west and northern boundary of compartment No. 790, west and northern boundary of compartment No. 780, 781 and northern boundary of compartment No. 782 which is also the boundary of buffer area.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								East : Starting from the meeting point of northern and eastern boundary of compartment No. 782 the state boundary of Orissa upto the meeting point of southern boundary of compartment No. 965 and eastern boundary of compartment No. 16. **South :** Northern boundary of compartment No. 16, 15, 11, 9, 7, 6, 1, 89, 88, western boundary of compartment No. 87, 77, 76, 65, 64, 57, 56, southern boundary of compartment No. 55, western boundary of the village Sahebin, western boundary of compartment No. 54, 53, the boundary of the state of Orissa starting from the meeting point of western boundary of compartment No. 53 and southern boundary of comartment No. 1203 upto the meeting point of western boundary of compartment No. 1151 and southern boundary of compartment No. 241. **West :** The common boundary of Dhamtari and Gariaband districts starting from the meeting point of southern and eastern boundaries of compartment No. 241 upto the meeting point of southern boundary of compartment No. 389 and western boundary of compartment No. 1068.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Achanakmar Tiger Reserve, Bilaspur				
1.	Conservator of Forest (Wild Life) and Regional Director, Achanakamar Tiger Reserve, Head Quarter-Bilaspur.	Mungeli and Bilaspur	Achanakmar Tiger Reserve	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve (Bilaspur)	Assistant Director, Lormi (Head Quarter-Lormi)	410.466	Lormi Part-1, Lormi Part-2, Surhi	**North :** The common boundary of the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh starting from the boundary of the state and the eastern boundary of the compartment No. 416 upto the western boundary of the compartment No. 303, southern boundaries of compartment No. 303, 331, 330, 329, 327, west-southern boundary of compartment No. 326, southern boundaries of compartment No. 325 and 324 which is extended upto meeting point of compartment No. 347, 346 & 324. **East :** West-Southern boundary of the compartment No. RF 347, Southern boundaries of compartment No. 348, 366, 365 western boundary of compartment No. RF 364, northern and western boundaries of compartment No. 235, 368, 237, western boundaries of compartment No. 198, 197, 196, 195, 153, 152, 114, west-southern boundary of compartment No. 113, southern boundary of compartment No. 115, 116, 117, western boundary of compartment No. 108 and western & southern boundary of compartment No. 109, southern boundary of compartment No. 101, upto the meeting point of compartment No. 100, 101 & 93.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								South : the Boundary line of buffer area of Achanakmar Tiger Reserve starting from the meeting point of compartment No. 100, 101, 93, upto the meeting point of northern boundary of Maniari tank and southern boundary of compartment No. 503, northern boundary of Maniari tank upto the eastern boundary of compartment No. 475, northern, boundary of compartment No. 475.
								West : Eastern boundaries of Compartment No. 477, 469, 463, 424, 421, 420, 416, upto the common boundary of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
2.	Conservator of Forest (Wild Life) and Regional Director, Achanakamar Tiger Reserve, Head Quarter-Bilaspur.	Mungeli and Bilaspur	Achanakmar Tiger Reserve	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve (Bilaspur)	Assistant Director, Achanakmar (Head Quarter-Kota)	503.551	Lamni, Chaparwa, Achanakmar, Achanakmar-Ecotourism	**North :** Common boundary of the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Starting from the meeting point of compartment No. 271 & 270 upto the meeting point of compartment No. 259 and 260.
								East : Western boundaries of compartment No. 260 and 265, west-southern boundary of compartment No. 266, common boundary of the district Mungeli and Bilaspur starting from western boundary of compartment No. P-1215 upto the eastern boundary of compartment No. P-1213, the boundary line of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								buffer area of Achanakmar Tiger reserve which is extended upto the meeting points of compartment No. P-1166 and RF 224, Common boundary of Bilaspur and Mungeli districts upto the meeting points of the northern boundary of compartment No. 184 and western boundary of P-1178, The boundary of the buffer area of Achanakmar Tiger Reserve upto the meeting point of northern boundary of compartment No. 168 & 173.
								South : The boundary of the buffer area of Achanakmar Tiger reserve starting from the meeting point of the northern boundaries of compartment No. 168 & 173 upto the meeting point of the northern boundary of compartment No. 143 and eastern boundary of compartment No. 144, the boundary of the core area upto the meeting points of compartment No. 553, 549 and 112.
								West : Eastern boundary of compartment No. R.F. 548, 547, 542, 541, 517, 516, 507, eastern and nothern boundary of compartment No. 506, eastern boundary of compartment

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								No. 238, south-Eastern boundary of compartment No. 369, southern, eastern and northern boundary of compartment No. 367, northern boundary of compartment No. 369, 371, 372, 346, eastern-northern boundary of 345, northern boundary of 344, 343, north-eastern boundry of compartment No. 342, Northern boundary of compartment No. RF 341, 339, 338, 336 and 332 the common boundary of the State of Madhya Pradesh and Chhattisgarh upto the meeting point of compartment No. 271 and 270.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. T. NANDY, Special Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/प्रवा.-2/अ.वि.अ./2012/680.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	बसंतपुर प.ह.नं. 27	4.413	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर मुख्यालय चांपा जिला जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक/66/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/17/अ/82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	घोंच	0.70	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	घोंच-बेलर मार्ग पर सुखा नाला में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा [illegible] है.

महासमुंद, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्रमांक/67/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/18/अ/82/11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संवंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	पिथौरा	चौकबेड़ा	0.76	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	भुरकोनी-चौकबेड़ा मार्ग पर मचका नाला में पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मुनरेठी प. ह. नं. 20	28/8	0.003	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	मुनरेठी खुड़मुड़ी मार्ग पर खारून नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			29/1-2	0.120		
			29/3	0.060		
			28/5	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			28/4	0.053		
			28/11	0.020		
			28/1	0.100		
			28/2	0.126		
			29/4	0.060		
			29/5	0.140		
		योग	10	0.742		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8877/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पारीकला, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
	(1)	(2)
	72	0.020
	73	0.014
	75	0.020
	76	0.016
योग	4	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्ग, राजनांदगांव के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8878/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सुंदरा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
24	0.061
26/3	0.016
26/4	0.012
26/5	0.016
26/6	0.016
योग 5	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुर्ग, राजनांदगांव के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8944/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभांठा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
509/2	0.073
509/3	0.020
494	0.081
495	0.081
योग 4	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अंतर्गत अमलीडीह माइनर के अंतर्गत नहर-नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कलमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
371/2	0.043

	(1)	(2)
	381/14	0.061
योग	2	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के झारमुड़ा शाखा नहर के निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्रमांक 1629.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-पामगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-मुलमुला, प. ह. नं. 05
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	334/9	0.218
योग	1	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बनाहिल शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक/1060/रीडर/न.भू.सी./2012.—संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008/सात-3 रायपुर दिनांक 02-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री संजय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर, रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,
कलेक्टर.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2012-13/141.—मैं मनोहर पाण्डे, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के लिए छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2012-13 के लिए आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा. आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों का गन्ना निम्नलिखित क्रय केन्द्रों पर दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हे. में)
1.	कारखाना द्वार	बालोद	42	199
		गुरूर	29	94.60
		डौंडीलोहारा	84	244.50
		डौंडी	35	57.30
		गुंडरदेही	15	142.50
		पाटन	15	104.19
		दुर्ग	09	30.30
2.	बेरला	बेरला	23	561.95
		साजा	12	212.30
		धमधा	34	404.52
3.	आनंदगांव	बेरला	19	238.20
		बेमेतरा	30	450.55
		योग	**347**	**2739.91**

मनोहर पाण्डेय,
गन्ना आयुक्त.

शक्कर कारखाना गेट पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों की सूची विकासखंडवार

पेराई सत्र 2012-13

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	ग्राम का नाम (3)	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में) (4)	कारखाने से ग्राम की दूरी (5)
1.	बालोद	सुंदरा	15.00	26
2.	बालोद	घुमका	4.00	26
3.	बालोद	दे. नवागांव	3.00	21
4.	बालोद	ओरमा	8.00	20
5.	बालोद	मेड़की	5.00	18
6.	बालोद	चारवाही	6.00	20
7.	बालोद	नागाडबरी	7.00	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	बालोद	कोहगाटोला	9.00	22
9.	बालोद	तरौद	3.00	22
10.	बालोद	अरौद	9.00	26
11.	बालोद	लाटाबोड	9.00	25
12.	बालोद	खपरी	7.00	28
13.	बालोद	पोण्डी	2.00	15
14.	बालोद	साल्हेटोला	3.00	25
15.	बालोद	जगन्नाथपुर	10.00	29
16.	बालोद	मनौद	12.00	22
17.	बालोद	कुर्सीपार	3.00	18
18.	बालोद	करकाभाट	8.00	0.5
19.	बालोद	मुल्लेगुडा	2.00	25
20.	बालोद	मुल्ले	1.00	25
21.	बालोद	बोरी	3.00	29
22.	बालोद	नेवारीकला	4.00	24
23.	बालोद	सांकरा जं.	8.00	27
24.	बालोद	परसोदा	8.00	18
25.	बालोद	करहीभदर	2.00	4
26.	बालोद	भोइनापार	3.00	30
27.	बालोद	टेगरापार	1.00	32
28.	बालोद	गोडरी	1.00	15
29.	बालोद	जगतरा	5.00	10
30.	बालोद	लिमोरा	3.00	18
31.	बालोद	सोहतरा	4.00	12
32.	बालोद	बोडकी	5.00	20
33.	बालोद	सांकरा. क	1.00	6
34.	बालोद	जुंगेरा	1.00	24
35.	बालोद	पीपरछेडी	3.00	18
36.	बालोद	बालोद	1.00	20
37.	बालोद	नेवारीखुर्द	1.00	16
38.	बालोद	सेम्हरकोन्हा	2.00	14
39.	बालोद	परसाही	2.00	29
40.	बालोद	टेकापार	3.00	18
41.	बालोद	कन्नेवाड़ा	10.00	5
42.	बालोद	चिरईगोंडी	2.00	5
		योग	199.00	
1.	गुरूर	टे. बरपारा	3.50	22
2.	गुरूर	कपरमेटा	3.50	8
3.	गुरूर	हितेकसा	3.00	20
4.	गुरूर	ठेकवाडीह	2.50	18
5.	गुरूर	सरबदा	1.50	22
6.	गुरूर	परसुली	0.50	20
7.	गुरूर	खोरदो	0.50	28
8.	गुरूर	अकलवारा	17.00	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	गुरूर	फागुनदाह	0.40	28
10.	गुरूर	पेण्डरवानी	0.50	25
11.	गुरूर	देवकोट	1.00	25
12.	गुरूर	भिरई	6.20	32
13.	गुरूर	सनौद	1.50	25
14.	गुरूर	बोरीदकला	0.50	24
15.	गुरूर	मुडखुसरा	0.40	23
16.	गुरूर	मोखा	2.00	18
17.	गुरूर	कन्हारपुरी	2.00	14
18.	गुरूर	चुल्हापर्थरा	0.50	25
19.	गुरूर	रूपुटोला	1.40	20
20.	गुरूर	पडकीभाट	3.50	18
21.	गुरूर	डोटोपार	1.00	29
22.	गुरूर	पलारी	26.00	30
23.	गुरूर	दुपचेरा	8.00	20
24.	गुरूर	खुंदनी	2.00	21
25.	गुरूर	सांगली	1.20	25
26.	गुरूर	कोसागोंदी	0.50	35
27.	गुरूर	जंगलीभेजा	0.50	27
28.	गुरूर	नारागाव	1.00	20
29.	गुरूर	सोनईडोंगरी	2.50	18
		योग	94.60	
1.	डौंडीलोहारा	कुम्हालोरी	3.00	38
2.	डौंडीलोहारा	रेंगनी	3.00	35
3.	डौंडीलोहारा	फरदडीह	3.00	31
4.	डौंडीलोहारा	बुदेली	2.50	31
5.	डौंडीलोहारा	सहगांव	1.50	65
6.	डौंडीलोहारा	चिल्हाटीखुर्द	1.00	70
7.	डौंडीलोहारा	दुधली	0.50	35
8.	डौंडीलोहारा	खपरी	3.00	38
9.	डौंडीलोहारा	मरकामटोला	0.50	62
10.	डौंडीलोहारा	जाटादाह	1.50	70
11.	डौंडीलोहारा	सुरेगांव	3.90	55
12.	डौंडीलोहारा	भुरकाभॉट	3.50	61
13.	डौंडीलोहारा	किसना	5.00	40
14.	डौंडीलोहारा	पिनकापार	7.00	42
15.	डौंडीलोहारा	फुलसुंदरी	4.00	70
16.	डौंडीलोहारा	गणेश खपरी	5.50	62
17.	डौंडीलोहारा	सिर्राभांठा	3.50	60
18.	डौंडीलोहारा	चेब. नवागांव	3.50	62
19.	डौंडीलोहारा	खामभॉट	6.50	68
20.	डौंडीलोहारा	खामतराई	2.50	65
21.	डौंडीलोहारा	मुडखुसरा	1.00	58
22.	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर	2.50	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	डौंडीलोहारा	परसाडीह-ज	4.00	55
24.	डौंडीलोहारा	खैरीडीह	23.60	45
25.	डौंडीलोहारा	कोसमी	1.50	52
26.	डौंडीलोहारा	हथौद	3.50	42
27.	डौंडीलोहारा	सोरली	6.10	48
28.	डौंडीलोहारा	गुरामी	0.50	55
29.	डौंडीलोहारा	पसौद	1.00	65
30.	डौंडीलोहारा	जेवरतला	1.00	70
31.	डौंडीलोहारा	हल्दी	1.40	56
32.	डौंडीलोहारा	कुवांगांव	1.00	62
33.	डौंडीलोहारा	महाराजपुर	17.50	58
34.	डौंडीलोहारा	डारागांव	3.50	45
35.	डौंडीलोहारा	तेलीटोला	0.50	52
36.	डौंडीलोहारा	भरनाभाट	2.20	50
37.	डौंडीलोहारा	खपराभांट	3.10	51
38.	डौंडीलोहारा	खेरथा	1.00	42
39.	डौंडीलोहारा	आलीखुटा	0.50	45
40.	डौंडीलोहारा	भीमकन्हार	1.00	50
41.	डौंडीलोहारा	लमती	0.50	52
42.	डौंडीलोहारा	गोडमर्रा	4.00	50
43.	डौंडीलोहारा	कोच्चेरा	1.00	40
44.	डौंडीलोहारा	अण्डी	0.50	40
45.	डौंडीलोहारा	खैरा	1.50	61
46.	डौंडीलोहारा	बनगांव	3.00	42
47.	डौंडीलोहारा	गंधरी	2.00	45
48.	डौंडीलोहारा	झिटिया	1.50	58
49.	डौंडीलोहारा	पिपरखार नां.	1.00	52
50.	डौंडीलोहारा	बहराभाठ	7.00	65
51.	डौंडीलोहारा	के. नवागांव	3.00	52
52.	डौंडीलोहारा	मनकी सु	28.30	60
53.	डौंडीलोहारा	नांहदा	1.00	58
54.	डौंडीलोहारा	अ. नवागांव	1.50	56
55.	डौंडीलोहारा	भंवरमरा	2.00	53
56.	डौंडीलोहारा	टटेगा	1.50	70
57.	डौंडीलोहारा	कापसी	5.90	65
58.	डौंडीलोहारा	बडगांव	1.00	45
59.	डौंडीलोहारा	खरथुली	1.00	35
60.	डौंडीलोहारा	बुल्लूटोला	2.00	38
61.	डौंडीलोहारा	किल्लेकोडा	1.00	59
62.	डौंडीलोहारा	खोलझर	0.50	42
63.	डौंडीलोहारा	पापरा	7.40	45
64.	डौंडीलोहारा	कोबा	1.10	47
65.	डौंडीलोहारा	अछोली	1.50	52
66.	डौंडीलोहारा	कसहीकला	0.50	57
67.	डौंडीलोहारा	हडगहन	5.00	52
68.	डौंडीलोहारा	संजारी	2.00	62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	डौंडीलोहारा	करेंगांव	0.50	61
70.	डौंडीलोहारा	देवरी	1.00	55
71.	डौंडीलोहारा	नारगी	0.50	53
72.	डौंडीलोहारा	भार्री	0.50	55
73.	डौंडीलोहारा	सिंगारपुर	1.40	58
74.	डौंडीलोहारा	भालूकोन्हा कं.	2.00	53
75.	डौंडीलोहारा	बीजाभाठा	2.40	52
76.	डौंडीलोहारा	सिवनी	2.50	52
77.	डौंडीलोहारा	रानितराई	1.00	60
78.	डौंडीलोहारा	फरदफोड	0.60	58
79.	डौंडीलोहारा	भंडेरा	0.60	50
80.	डौंडीलोहारा	गंजईडीह	0.60	55
81.	डौंडीलोहारा	झरनटोला	0.50	53
82.	डौंडीलोहारा	गैंजी	0.50	40
83.	डौंडीलोहारा	परसुली	0.50	61
84.	डौंडीलोहारा	भरदा	0.40	65
		योग	**244.50**	
1.	डौंडी	मथैना	3.10	58
2.	डौंडी	आमाडुला	3.00	40
3.	डौंडी	बेलौदा	4.00	35
4.	डौंडी	सिंघोला	1.40	32
5.	डौंडी	मंगल तराई	0.90	32
6.	डौंडी	चिखलाकसा	10.00	41
7.	डौंडी	सिंगनवाही	1.50	42
8.	डौंडी	पचेडा	1.00	40
9.	डौंडी	घोटिया	3.90	41
10.	डौंडी	घोतिम टोला	1.00	35
11.	डौंडी	ढोरीठेमा	2.00	51
12.	डौंडी	चिपरा	0.50	42
13.	डौंडी	ककरेल	2.00	45
14.	डौंडी	कुसुमकसा	0.50	32
15.	डौंडी	कुरूटोला	2.90	45
16.	डौंडी	बिटाल	1.80	42
17.	डौंडी	कुर्सीटिकुर	2.80	35
18.	डौंडी	धोबनी अ	1.00	40
19.	डौंडी	मडियाकट्टा	2.70	42
20.	डौंडी	छिदगांव	0.40	52
21.	डौंडी	गिधाली	0.50	29
22.	डौंडी	सुवरबोड	0.50	30
23.	डौंडी	ठेमाखुर्द	1.00	40
24.	डौंडी	धोबनी ब	0.50	48
25.	डौंडी	अडजाल	0.50	40
26.	डौंडी	धोबेदण्ड	0.50	40
27.	डौंडी	झीकाटोला	0.50	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	डौंडी	बोरगांव	0.50	29
29.	डौंडी	अवारी	1.00	52
30.	डौंडी	बम्हनी	0.50	58
31.	डौंडी	भेसबोड़	1.50	28
32.	डौंडी	नलकसा	1.10	42
33.	डौंडी	कोपेडेरा	1.30	43
34.	डौंडी	गिधाली	0.50	29
35.	डौंडी	भर्रीटोला	0.50	42
		योग	57.30	
1.	गुण्डरदेही	चाराभांठा	4.00	35
2.	गुण्डरदेही	कलंगपुर	4.00	48
3.	गुण्डरदेही	पिनकापार	2.50	49
4.	गुण्डरदेही	कांदूल	2.00	45
5.	गुण्डरदेही	टिकरी	4.00	42
6.	गुण्डरदेही	लिमोरा	7.00	19
7.	गुण्डरदेही	पेण्ड्री	80.00	32
8.	गुण्डरदेही	कमरौद	17.00	39
9.	गुण्डरदेही	तेलौदी	6.00	29
10.	गुण्डरदेही	हल्दी	4.00	38
11.	गुण्डरदेही	भेण्डरा	2.00	35
12.	गुण्डरदेही	सीकोसा	3.00	59
13.	गुण्डरदेही	बोरगहन	2.00	45
14.	गुण्डरदेही	डुण्डेरा	3.00	42
15.	गुण्डरदेही	भरदाकला	2.00	40
		योग	142.50	
1.	पाटन	रीवागहन	0.30	35
2.	पाटन	बटरेल	3.50	36
3.	पाटन	ठमरपौटी	0.40	38
4.	पाटन	सुकोना	0.12	75
5.	पाटन	कौरी	0.73	80
6.	पाटन	अचानकपुर	0.12	70
7.	पाटन	चुनकट्टा	0.12	55
8.	पाटन	छाता	0.50	50
9.	पाटन	किकरमेटा	0.40	42
10.	पाटन	आगेसरा	2.40	42
11.	पाटन	सिरसाकला	0.40	96
12.	पाटन	रोही	2.50	80
13.	पाटन	सेलूद	0.20	80
14.	पाटन	औसर	2	82
15.	पाटन	मगरघटा	90.50	106
		योग	104.19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुर्ग	कोकड़ी	5.00	88
2.	दुर्ग	चुदखुरी	2.52	80
3.	दुर्ग	उमरपोटी	3.40	105
4.	दुर्ग	महमरा	2.12	96
5.	दुर्ग	कुथरेल	3.00	82
6.	दुर्ग	विनायकपुर	2.12	85
7.	दुर्ग	खाडा	0.14	104
8.	दुर्ग	असनारा	10.20	100
9.	दुर्ग	कोटनी	1.80	102
		योग	30.30	
		महायोग कुल ग्राम	229	
		कुल रकबा (हे.)	872.39	

पेराई सत्र 2012-13 में क्रय केन्द्र बेरला (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी

क्रमांक (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों का नाम (3)	विकासखण्ड (4)	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में) (5)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.) (6)
1.	बेरला	बेरला	बेरला	15.50	0
2.	बेरला	गाडामोर	बेरला	90.20	10
3.	बेरला	सिंगारडीह	बेरला	21.30	17
4.	बेरला	तठियाकला	बेरला	16.50	10
5.	बेरला	लावतरा	बेरला	5.80	8
6.	बेरला	तारालीम	बेरला	14.20	6
7.	बेरला	खामतराई	बेरला	5.00	12
8.	बेरला	सांकरा	बेरला	25.20	6
9.	बेरला	बहेरा	बेरला	21.80	2
10.	बेरला	पतोरा	बेरला	6.50	5
11.	बेरला	गोड़गिरी	बेरला	5.50	14
12.	बेरला	करामाल	बेरला	6.25	3
13.	बेरला	परपोड़ा	बेरला	30.70	15
14.	बेरला	मोहभट्ठा	बेरला	25.00	17
15.	बेरला	पाथरपुंजी	बेरला	28.90	8
16.	बेरला	सोंढ	बेरला	45.60	8
17.	बेरला	भरचट्टी	बेरला	6.00	8
18.	बेरला	बचेड़ी	बेरला	34.00	13
19.	बेरला	चौगीखपरी	बेरला	10.00	15
20.	बेरला	तिलई	बेरला	15.00	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	बेरला	बारगांव	बेरला	92.00	12
22.	बेरला	करेली	बेरला	12.00	10
23.	बेरला	बांसा	बेरला	29.00	3
24.	बेरला	देवकर	साजा	4.00	24
25.	बेरला	राखी	साजा	40.00	21
26.	बेरला	अमलीडीह	साजा	15.00	35
27.	बेरला	परसबोड	साजा	20.20	26
28.	बेरला	साजा	साजा	40.00	29
29.	बेरला	डोंगीतराई	साजा	8.00	31
30.	बेरला	संबलपुर	साजा	15.00	38
31.	बेरला	खाती	साजा	10.00	42
32.	बेरला	अकलवारा	साजा	40.50	30
33.	बेरला	नवकेसा	साजा	8.00	32
34.	बेरला	सोमईकला	साजा	6.00	40
35.	बेरला	बेदर्ची	साजा	5.60	30
36.	बेरला	पेन्ड्री	धमधा	7.00	32
37.	बेरला	सगनी	धमधा	7.00	40
38.	बेरला	कौड़िया	धमधा	4.56	29
39.	बेरला	घटियाखुर्द	धमधा	8.00	22
40.	बेरला	मुडपार	धमधा	2.80	20
41.	बेरला	मोहदी	धमधा	8.56	22
42.	बेरला	चेटवा	धमधा	13.36	30
43.	बेरला	अछोली	धमधा	20.00	30
44.	बेरला	दादर	धमधा	14.10	30
45.	बेरला	संडी	धमधा	18.80	21
46.	बेरला	डूमर	धमधा	9.67	26
47.	बेरला	गिरहोला	धमधा	20.00	18
48.	बेरला	माटरा	धमधा	20.00	12
49.	बेरला	धमधा	धमधा	15.80	22
50.	बेरला	बानबरद	धमधा	30.25	25
51.	बेरला	अहिवारा	धमधा	9.00	22
52.	बेरला	मोहरेंगा	धमधा	18.00	10
53.	बेरला	खजरी	धमधा	8.67	11
54.	बेरला	तरकोरी	धमधा	10.00	6
55.	बेरला	ठठिया	धमधा	16.00	7
56.	बेरला	मुरमुदा	धमधा	7.60	25
57.	बेरला	खपरी	धमधा	20.25	20
58.	बेरला	ढौर	धमधा	5.40	21
59.	बेरला	कपसदा	धमधा	13.00	20
60.	बेरला	परहा	धमधा	2.50	32
61.	बेरला	बासाडीह	धमधा	16.00	18
62.	बेरला	लहंगा	धमधा	5.98	12
63.	बेरला	मलपुरीकला	धमधा	16.00	25
64	बेरला	पंचदेवरी	धमधा	13.56	20
65.	बेरला	ओटेबंद	धमधा	17.78	25
66.	बेरला	पेन्ड्रीतराई	धमधा	9.25	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	बेरला	लिमतरा	धमधा	6.40	12
68.	बेरला	मुर्रा	धमधा	4.00	24
69.	बेरला	खुंदनी	धमधा	5.23	25
			कुल योग	**1178.77**	

पेराई सत्र 2012-13 में क्रय केन्द्र आनंदगांव (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी

क्रमांक	केन्द्र का नाम	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों का नाम	विकासखण्ड	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आनंदगांव	कोसपातर	बेरला	4.50	8
2.	आनंदगांव	मटिया	बेरला	3.50	7
3.	आनंदगांव	आनंदगांव	बेरला	50.30	12
4.	आनंदगांव	नवागांव	बेरला	7.50	5
5.	आनंदगांव	खुड़मुड़ा	बेरला	25.00	4
6.	आनंदगांव	सिंगदेही	बेरला	9.00	8
7.	आनंदगांव	सहौली	बेरला	16.20	6
8.	आनंदगांव	बेलौदीकला	बेरला	6.25	10
9.	आनंदगांव	मुड़पारखुर्द	बेरला	5.65	10
10.	आनंदगांव	तेलगा	बेरला	8.20	4
11.	आनंदगांव	सरदा	बेरला	12.50	8
12.	आनंदगांव	लेंजवारा	बेरला	15.80	8
13.	आनंदगांव	देवादा	बेरला	4.00	5
14.	आनंदगांव	अकोली	बेरला	8.00	8
15.	आनंदगांव	देवरी	बेरला	20.00	8
16.	आनंदगांव	हरदी	बेरला	16.50	15
17.	आनंदगांव	हसदा	बेरला	8.00	8
18.	आनंदगांव	तिवरैया	बेरला	9.30	32
19.	आनंदगांव	नेवनारा	बेरला	8.00	9
20.	आनंदगांव	लालपुर	बेमेतरा	2.00	49
21.	आनंदगांव	पचभैया	बेमेतरा	1.00	48
22.	आनंदगांव	पेंड्री (दाढ़ी)	बेमेतरा	2.00	38
23.	आनंदगांव	खडसरा	बेमेतरा	8.35	34
24.	आनंदगांव	भैसा	बेमेतरा	23.20	36
25.	आनंदगांव	झाराडीह	बेमेतरा	5.00	38
26.	आनंदगांव	बेतर	बेमेतरा	2.00	42
27.	आनंदगांव	बटार	बेमेतरा	3.00	44
28.	आनंदगांव	पंडरभट्ठा	बेमेतरा	12.00	34
29.	आनंदगांव	पेंड्रतराई	बेमेतरा	20.00	32
30.	आनंदगांव	लावातरा	बेमेतरा	10.00	35
31.	आनंदगांव	करचुआ	बेमेतरा	5.00	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	आनंदगांव	पेंड्री (बालसमुंद)	बेमेतरा	30.00	36
33.	आनंदगांव	कुसमी	बेमेतरा	25.00	39
34.	आनंदगांव	झाल	बेमेतरा	37.00	37
35.	आनंदगांव	सिंगपुर	बेमेतरा	16.00	27
36.	आनंदगांव	उधरी	बेमेतरा	6.00	48
37.	आनंदगांव	बैजलपुर	बेमेतरा	4.00	45
38.	आनंदगांव	बहु नवागांव	बेमेतरा	30.00	42
39.	आनंदगांव	गांगपुर	बेमेतरा	10.00	48
40.	आनंदगांव	मटका	बेमेतरा	14.00	35
41.	आनंदगांव	बीजापुर	बेमेतरा	24.00	32
42.	आनंदगांव	अमोरा	बेमेतरा	31.00	38
43.	आनंदगांव	चावरभांठा	बेमेतरा	20.00	42
44.	आनंदगांव	लेलासरा	बेमेतरा	38.00	47
45.	आनंदगांव	बहरा	बेमेतरा	6.00	52
46.	आनंदगांव	मुंगेली	बेमेतरा	10.00	32
47.	आनंदगांव	बाराडोरा	बेमेतरा	20.00	45
48.	आनंदगांव	रबेली	बेमेतरा	6.00	44
49.	आनंदगांव	सुगहनपुर	बेमेतरा	30.00	46
			कुल योग	**688.75**	

आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

1.	कारखाना कार्यक्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या (बालोद, गुरूर, डौंडीलोहारा, डौंडी, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग एवं धमधा)	-	263	रकबा-1276.91 हेक्टेयर
2.	कारखना कार्यक्षेत्र के बाहर के कुल ग्रामों की संख्या (बेरला, साजा एवं बेमेतरा)	-	84	रकबा-1463 हेक्टेयर
	महायोग ग्राम	-	**347**	**रकबा-2739.91 हेक्टेयर**

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 204/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा/24	44/3	0.11
			45/1	0.10
			196/2	0.09
			43	0.27
			77/2	0.30
			44/4	0.11
			46/1	0.39
			209	0.04
			76/1	0.20
			77/3	0.18
			76/2 क	0.03
			77/1	0.23
			249/2	0.18
			210/2	0.17
			245/1	0.06
			194/2	0.10
			281/2	0.06
			176/4	0.09
			76/3	0.03
			195/1	0.09
			214	0.02
			160	0.11
			174/1	0.02
			180	0.05
			248	0.38
			245/2	0.13
			195/3	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			213/4	0.07
			211/1	0.31
			205/10	0.15
			145/11	1.03
			197	0.07
			175	0.05
			151/7	0.12
			158	0.09
			210/1छ	0.17
			181/2	0.08
			181/1	0.05
			161	0.05
			163	0.10
			282/2	0.51
			157	0.10
			249/1	0.18
			151/2ग	0.15
			282/1	0.79
		योग	**45**	**7.67**

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 206/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	रनभांठा/39	397/3, 397/4	0.40
			20/1क	0.20
			75/1	0.17
			80/1	0.15
			90/4	0.94
			6/1	0.07
			384	0.20
			118/1, 119/3, 119/4	0.30
			9	0.17
			79/1	0.07
			91	0.12
			29/2	0.20
			388	0.12
			390/2	0.30
			34	0.30
			57/2	0.20
			80	0.15
			70	0.15
			65	0.20
			35	0.12
			11/2	0.25
			12/1	0.37
			37	0.15
			385	0.25
			75/2	0.17
			117/1, 117/2	0.30
			120	0.20
			121/1	0.49
			380	0.07
			383/1	0.20
			383/2	0.10
			383/3	0.10
			118/2, 119/5, 119/6	0.30
			391	0.07
			389	0.25
			75/3	0.20
			386	0.30
			353	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			23/5	0.37
			71/1	0.25
			116/4	0.54
			10	0.35
			69	0.20
			387	0.17
			395/1	0.25
			36/2	0.40
			30/1, 30/2	0.27
			31	1.73
			59	0.30
			79/2	0.40
			9	0.17
			23/1	0.07
			8/1	0.20
			8/2	0.30
			395/7	0.12
			29/1	0.20
			354	0.17
			76/2	0.17
			71/2	0.20
			97	0.40
			113	0.30
			398	0.12
		योग	**62**	**16.09**

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 210/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कारीछापर/37	117/4	0.07
			123/2	0.40
			124	0.07
			131/2	0.26
			122/2	0.50
			133/7	0.72
			140	0.02
			149	0.12
			146/2	0.10
			117/1	0.84
			133/5	0.06
			147	0.25
			141	0.15
			133/6	0.10
			155/1	0.07
			148/3	0.38
			129	0.25
		योग	17	4.26

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखें)

क्रमांक 212/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार वे लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में (5)
रायगढ़	पुसौर	तेतला/29	820/1, 821	0.18
			1013/1	0.12
			1034	0.15
			1039/1	0.38
			1040/2	0.07
			1025/2	0.04
			1026	0.03
			1027	0.16
			1028/1	0.07
			1029, 1030	0.17
			1033/2	0.14
			1061/1	0.02
			1060/5	0.45
			1063	0.04
			1064/2	0.56
			1066/3	0.56
			1112/6, 1113/6	0.30
			1114/3	0.15
			1172/1	0.23
			1172/2	0.01
			1171/6, 1181/5	0.46
			1179/1	0.25
			1180/1, 1180/2	0.15
			1505	0.20
			1504/3	0.58
			1502, 1503	0.02
			1546/4, 1600/4	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1547	0.15
			1548	0.02
			1549	0.12
			1600/1	0.10
			1589/3, 1591	0.28
			1592/6	0.19
			1589/1	0.20
			1593/1, 1593/8	0.18
			1579	0.22
			1577/1	0.22
			1576/2	0.22
			1573/3	0.14
			1179/2	0.04
			1506	0.44
		योग	**41**	**8.16**

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 213/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	नंदेली/37	108	0.12
			110	0.07
			115/1	0.18
			157	0.22
			476/1	0.09
			272/1	0.22
			156/2	0.12
			156/1	0.05
			155/2	0.03
			155/3	0.03
			155/4	0.02
			155/5	0.08
			154	0.21
			161/1	0.12
			162/2	0.22
			165/9	0.23
			166/1	0.15
			165/9	0.08
			167/2	0.06
			169/2	0.12
			490	0.13
			185/1, 185/2	0.25
			165/12	0.02
			479/1	0.12
			186/1	0.10
			477	0.03
			477	0.02
			478	0.16
			474	0.16
			475/2	0.11
			327/5	0.16
			327/4	0.16
			330	0.06
			331	0.06
			326/1	0.15
			480	1.10
			102	0.16
			111/1	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			122/2ख	0.30
			343/1	0.05
			343/3	0.05
			341/1	0.11
			339/2	0.04
			115/1	0.14
			112/2, 112/3	0.38
			340/1	0.11
			342/2	0.03
			273	0.04
			122/1	0.51
			172/1क	0.16
			286/1	0.32
			454/1	0.06
			263	0.10
			114	0.07
		योग	**51**	**10.21**

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 214/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक 214/बी-121/2010-11 दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	सुर्री/29	294/1	0.13
			749/6	0.12
			307/1	0.30
			506/1, 509/1	0.10
			294/2	0.12
			482/1, 483/2	0.02
			484	0.02
			483/3, 485	0.05
			299/3 ङ, 300/2	0.42
			315/1	0.05
			589	0.24
			763/1	0.10
			769/1क	0.40
			761	0.05
			762	0.02
			758	0.17
			748/2क, 748/2ग	0.30
			482/2	0.06
			483/1	0.05
			593/1ख	0.54
			296	0.06
			297	0.10
			744, 745/1, 745/3	0.04
			757/1ख, 845/1	0.07
			486/1ग	0.04
			486/2, 487	0.46
			749/4	0.02
			847/1ग	0.30
			557/1	0.02
			567/1	0.13
			555/1	0.10
			841/1च	0.15
			563/1	0.12
			285	0.08
			841/2	0.07
			555/2	0.19
			749/7	0.10
			592/1	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			766/2क, 767/2क, 782/6क	0.03
			560/1	0.12
			586/2, 588/3	0.15
			588/1	0.30
			749/3	0.04
			556	0.14
			750	0.43
			564	0.05
			307/2क, 307/2ख	0.07
			545/1क, 546/1क, 782/9क	0.59
			756	0.30
			593/1क	0.54
			744/3, 745/1घ, 745/5	0.06
			756/2क/1	0.20
			754/1ख	0.26
			486/1ख	0.02
			745/1ख	0.10
			745/2	0.08
			746	0.06
			766/1	0.15
			757/1d	1.07
		योग	59	10.20

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 215/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कोड़ातराई/24	357/3	0.14
			358/1	0.34
			358/2क	0.32
			47/2, 51/2, 53/2	0.06
			60/2, 62/1, 65/4	0.21
			359/5क	0.45
			50/1	0.16
			326/4	0.30
			361/4	0.36
			306/3, 308/3	0.30
			308/4, 309/3	0.16
			325/1	0.40
			363/1	0.10
			328/1	0.35
			360/2	0.32
			374	0.05
			371/1	0.60
			362/2	0.18
			372/1	0.10
			329/2	0.05
			51/1	0.50
			52	0.69
			65/3	0.30
			373/2	0.15
			946/1	0.13
			980/2	0.30
			1006/24	0.08
			988/11	0.15
			979/2	0.05
			980/3	0.15
			1006/21	0.15
			949/2, 953/2	0.22
			1006/2	0.20
			1006/6	0.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			988/4	0.36
			989/2	0.08
			1083/1	0.04
			986/1	0.10
			987/2	0.33
			989/3	0.04
			1006/1	0.10
			1084/4	0.12
			986/2ख	0.15
			1080/1क/2, 1081/1क/5	0.15
			1080/1क/6	1.91
			952/2	0.30
			977/5	0.15
			980/4	0.15
			988/2	0.15
			1006/13	0.05
			1080/1ख	0.07
			1081/1ग	0.06
			1082/2, 1083/4ख	0.04
			978	0.26
			1081/1क/4	0.06
			1080/1क/3, 1081/1क/6	0.10
			946/5	0.30
			946/4	0.20
			946/2	0.20
			948/2	0.15
			61	0.13
			324/1	0.18
			359/2	0.06
			880/1	0.06
			1014	0.12
		योग	**65**	**14.38**

रायगढ़, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक 216/बी-121/2010-11.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी, रायगढ़ को अधिसूचना क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011 रायपुर दिनांक 23-5-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मेसर्स जिन्दल पावर लि. तमनार द्वारा ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार में स्थापित पावर प्लांट परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	लोहरसिंह/24	232/1	0.34
			233	0.46
			241/1क	0.35
			241/3क	0.35
			246	0.09
			531	0.25
			244/2	0.15
			1034/3	0.15
			525/3	0.08
			1028/1	0.16
			878/1035/1	0.30
			1030	0.[illegible]8
			1029/2	0.[illegible]4
			526/2क	0.16
			523, 524	0.20
			259	1.33
			517/5, 518	0.04
			1023	0.24
			530/1	0.10
			517/4	0.12
			1026	0.10
			1025/1	0.12
			525/2	0.08
			1034/4	0.28
			1041	0.22
			1043	0.10
			525/1	0.08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			245/1	0.09
			244/1	0.15
			1022	0.18
			529/2	0.26
			1039	0.03
			1040	0.03
			1042	0.02
			1044	0.10
			524/4	0.05
			525/5	0.03
			232/2	0.08
			242	0.10
			241/1ख, 341/3 ख	0.38
			1027	0.38
			747/1	0.15
			243/1	0.06
			258/1	0.27
			530/2	0.10
			259/1	0.54
			263	0.56
		योग	47	9.92

जे. आर. चौरसिया,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th October 2012

No. 735/Confdl./2012/II-1-5/2012.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/1/2012-US.II dated 19th October, 2012 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Yatindra Singh, Judge of Allahabad High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 22nd October, 2012.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General